पप्रत्र–2

पत्रांक 1736

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गिरिडीह।

सेवा में,

प्रबंधक/अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य
श्री राम कृष्णा डी.ए.वी.पब्लिक स्कूल सरिया,
गिरिडीह।

गिरिडीह,दिनांक 30/09/2020

विषयः– निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए, झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक–629 दिनांक–25.04.2019 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि निजी विद्यालयों की मान्यता हेतु, प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, गिरिडीह की बैठक दिनांक–29.09.2020 को प्राप्त प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोंपरान्त समिति के द्वारा आपके विद्यालय श्री राम कृष्णा डी.ए.वी.पब्लिक स्कूल सरिया, गिरिडीह को शैक्षणिक सत्र 2020–21 से कक्षा 1 से 8 तक के लिए विभागीय शर्तो के अनुसार औपबंधिक रूप से तीन वर्षो के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। आपके विद्यालय को छः माह के अन्दर सभी विभागीय शर्तो को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, अन्यथा मान्यता वापस ले ली जाएगी तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैः–

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा–08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, झारखण्ड निःशुल्क और, अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबंधो को एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक–629 दिनांक–25.04.2019 में उल्लेखित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाए।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा, और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. उक्त कंडिका–3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय की अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत् प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता–पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगाः–

i. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

ii. किसी भी बालक कों शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा।

iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पांच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे; और

viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
14. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
15. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक GRD-27 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाये।

29/9/2010

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गिरिडीह।
29/09/2010

पत्रांक–12 / अ.6–39 / 2012...../

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र–2, कम्यूनिटी सेन्टर,
प्रीत विहार, विकास मार्ग,
नई दिल्ली–110092

रांची, दिनांक...../

विषयः– **श्री रामकृष्ण डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, सरिया, गिरिडीह को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, श्री रामकृष्ण डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, सरिया, गिरिडीह से प्राप्त आवेदन (छायाप्रति संलग्न) पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने इस विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–671 दिनांक–16.03.2012 के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है:–

(i) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र सैद्धान्तिक होगा तथा सी0बी0एस0ई0 अपने निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यालय का निरीक्षण करेंगे एवं अपने निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही विद्यालय को अपनी सम्बद्धता प्रदान करेंगे।

(ii) विद्यालय प्रबंधन को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 एवं इससे संबंधित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार / मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्गत नियमावली अथवा दिशा–निदेशों का पूर्णतः विधि सम्मत् अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय–समय पर आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय का पर्यवेक्षण कर सकेंगे कि विद्यालय द्वारा उक्त निर्धारित मापदण्डों का विधि सम्मत् अनुपालन किया जा रहा है अथवा नही।

(iv) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदित विद्यालयों को इनसे संबंधित बोर्ड द्वारा निर्गत नियमावली में निर्धारित अर्हता एवं उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन करने पर विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार का होगा। ऐसी स्थिति में इस आशय की सूचना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी दी जायेगी।

विश्वासभाजन,
10/2/2015
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ज्ञापांक–12 / अ.6–39 / 2012.....239...../ रांची, दिनांक 10-02-2015

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्य (मंत्री), मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के सचिव / क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग / जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह / सचिव / प्राचार्य, श्री रामकृष्ण डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, सरिया, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/2/2015
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।